

## **अध्याय - 2 | व्यावसायिक संगठन के स्वरूप**



**व्याख्या:** निजी कम्पनी में सदस्य संख्या 2 से 200 तक सीमित होती है।



**व्याख्या:** सार्वजनिक कम्पनी कम से कम 7 सदस्यों से गठित की जा सकती है।

3. निजी कम्पनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर क्या लागू करती है?

  - A. पूर्ण प्रतिबंध
  - B. कोई प्रतिबंध नहीं
  - C. आंशिक प्रतिबंध
  - D. कर छूट

**व्याख्या:** निजी कम्पनी अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, जिससे उन्हें स्वतंत्र रूप से बेचा नहीं जा सकता।

4. सार्वजनिक कम्पनी के नाम के अंत में सामान्यतः कौन-सा शब्द जोड़ना अनिवार्य है?

  - A. Pvt. Ltd.
  - B. Private Limited
  - C. Ltd.
  - D. Corporation

**व्याख्या:** सार्वजनिक कम्पनी के नाम के अंत में "Limited" या "Ltd." लिखना अनिवार्य होता है।

5. निजी कम्पनी जनता को अंश खरीदने के लिए क्या कर सकती है?

  - A. खुला आमंत्रण
  - B. विज्ञापन
  - C. कोई आमंत्रण नहीं दे सकती
  - D. सरकारी नोटिस

**व्याख्या:** निजी कम्पनी को अंश पूँजी के लिए जनता को आमंत्रित करने की अनुमति नहीं होती।

6. सार्वजनिक कम्पनी जनता को अंश खरीदने के लिए क्या कर सकती है?

- A. आमंत्रण नहीं दे सकती
  - B. केवल सदस्यों को आमंत्रण दे सकती है
  - C. जनता को खुला आमंत्रण दे सकती है
  - D. केवल निजी विक्रय कर सकती है

**व्याख्या:** सार्वजनिक कम्पनी जनता से अंश पूँजी जुटाने के लिए खुले आमंत्रण दे सकती है।

7. निजी और सार्वजनिक कम्पनी के बीच एक मुख्य अंतर क्या है?

  - A. पूँजी की मात्रा
  - B. अंश हस्तांतरण पर नियंत्रण
  - C. कम्पनी अधिनियम
  - D. प्रबंधन संरचना

**व्याख्या:** निजी कम्पनी में अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है, जहाँकि सार्वजनिक कम्पनी में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं।

8. सार्वजनिक कम्पनी में अंशों के हस्तांतरण पर क्या प्रतिबंध होता है?

  - A. पूर्ण प्रतिबंध
  - B. केवल बोर्ड की अनुमति से
  - C. कोई प्रतिबंध नहीं
  - D. आंशिक प्रतिबंध

**व्याख्या:** सार्वजनिक कम्पनी में अंशों का स्वतंत्र हस्तांतरण संभव होता है।



**व्याख्या:** निजी कम्पनी के नाम के अंत में “Private Limited” अथवा “Pvt. Ltd.” लिखना अनिवार्य है।

10. अंशों के क्रय हेतु जनता को आमंत्रण देने का अधिकार किसे है?

  - A. केवल निजी कम्पनी
  - B. निजी और सार्वजनिक दोनों
  - C. सहकारी समिति
  - D. केवल सार्वजनिक कम्पनी

**व्याख्या:** केवल सार्वजनिक कम्पनी ही अंश पूँजी के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है।